



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-30012026-269663  
CG-OR-E-30012026-269663

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, बुधवार, 28 जनवरी, 2026/माघ 8, 1947

No. 379]

NEW DELHI, WEDNESDAY, 28 JANUARY, 2026/MAGHA 8, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 28 जनवरी, 2026

रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना

का.आ. 407(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (89 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा बीस (ए) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, “ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत भद्रक - विजयनगरम (५२५ कि मि) के बीच नई स्वीकृत तृतीय रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्गुन्डी - बारंग (२२ कि मि) और खुर्दा रोड - विजयनगरम (३६३ कि मि) के बीच तृतीय रेलवे लाइन” के निर्माण के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा बीस (डी) की उप-धारा (एक) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठा सकता है।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी, खुर्दा, राज्य - ओडिशा को लिखित रूप में की जाएगी जिसमें इसका कारण दर्शाया जायेगा, और सक्षम प्राधिकारी आपत्ति कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई किए जाने का मौका देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और आगे की जरूरी जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा बीस (डी) की उप-धारा (दो) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के नक्शे एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में निरीक्षण किए जा सकते हैं।

### अनुसूची

ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत भद्रक - विजयनगरम (५२५ कि मि) के बीच नई स्वीकृत तृतीय रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्गुन्डी - बारंग (२२ कि मि) और खुर्दा रोड - विजयनगरम (३६३ कि मि) के बीच तृतीय रेलवे लाइन” के निर्माण हेतु संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (संलग्नक - I)

### संलग्नक - I

क्रम संख्या	गांव का नाम	खाता संख्या	चक संख्या	प्लॉट संख्या	भूमि की किस्म	कुल क्षेत्र एकड़ में	अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ में	भूमि का प्रकार
1	बेनापंजरी	346	34	240	चक	0.250	0.028	व्यक्तिगत
2	बेनापंजरी			50	चक	0.676	0.073	व्यक्तिगत
3	बेनापंजरी	28	169	242	चक	0.025	0.025	व्यक्तिगत
4	बेनापंजरी	274	-	243	सारद - II	0.375	0.152	व्यक्तिगत
5	बेनापंजरी	615/290	-	244	घरबारी	0.690	0.062	व्यक्तिगत
6	बेनापंजरी		-	261	घरबारी	0.050	0.050	व्यक्तिगत
7	बेनापंजरी	292	179	262	चक	0.270	0.103	व्यक्तिगत
8	बेनापंजरी	615/602	177	253	चक	1.280	0.221	व्यक्तिगत
					<b>कुल क्षेत्र =</b>	<b>3.616</b>	<b>0.714</b>	
9	देउलबस्त	231/142	-	15/1019	घरबारी	0.715	0.250	व्यक्तिगत
10	देउलबस्त	231/284	-	15/1143	घरबारी	0.225	0.146	व्यक्तिगत
					<b>कुल क्षेत्र =</b>	<b>0.940</b>	<b>0.396</b>	
11	श्यामपुर	149	-	354	सारद अनजलसेचित - II	0.445	0.168	व्यक्तिगत
12	श्यामपुर	132	-	359	सारद अनजलसेचित - II	0.241	0.050	व्यक्तिगत
13	श्यामपुर	66	-	352	सारद अनजलसेचित - II	0.563	0.246	व्यक्तिगत
14	श्यामपुर		-	350	सारद	0.512	0.152	व्यक्तिगत

					अनजलसेचित - II			
15	श्यामपुर	32	-	351	सारद अनजलसेचित - II	0.045	0.045	व्यक्तिगत
16	श्यामपुर		-	349	सारद अनजलसेचित - II	0.085	0.085	व्यक्तिगत
17	श्यामपुर	133	-	357	सारद अनजलसेचित - II	0.100	0.003	व्यक्तिगत
18	श्यामपुर	76	-	358	सारद अनजलसेचित - II	0.455	0.001	व्यक्तिगत
					कुल क्षेत्र =	2.446	0.750	

## ग्राम वार सार

क्रम संख्या	गांव	अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ में	कुल प्लॉट संख्या
1	बेनापंजरी	0.714	8
2	देउलबस्त	0.396	2
3	श्यामपुर	0.750	8
कुल क्षेत्र =		1.860	18

[फा. सं. CE/CON/II/BBS/LA/3rd line BHC-VZM/Shyampur/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

## MINISTRY OF RAILWAYS

## [East Coast Railway (Construction)]

## NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 28th January, 2026

## Notice under Section 20A of the Railways Act-1989

**S.O. 407(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required in Khurda district of Odisha state for the execution of the Special Railway Project, namely “3rd line between Nirgundi – Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram (363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak-Vizianagarm project (525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the State of Odisha and Andhra Pradesh.” hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Land Acquisition Officer, Khurda, State - Odisha for “3rd line between Nirgundi – Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram (363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak-Vizianagarm project (525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the State of Odisha and Andhra Pradesh.” in writing and shall set out grounds thereof, and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) (attached here with) to be acquired in Khurda district of Odisha state, with or without structures, for the Special Railway Project, namely “3rd line between Nirgundi – Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram (363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak-Vizianagarm project (525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the State of Odisha and Andhra Pradesh.”

#### Annexure-I

Sl. No.	Village Name	Khata No.	Chaka No.	Plot No.	Kisam of Land	Total Area in Acre	Area to be acquired in Acre	Type of Land
1	Benapanjari	346	34	240	Chaka	0.250	0.028	Private
2	Benapanjari			50	Chaka	0.676	0.073	Private
3	Benapanjari	28	169	242	Chaka	0.025	0.025	Private
4	Benapanjari	274	-	243	Sarad-II	0.375	0.152	Private
5	Benapanjari	615/290	-	244	Gharabari	0.690	0.062	Private
6	Benapanjari		-	261	Gharabari	0.050	0.050	Private
7	Benapanjari	292	179	262	Chaka	0.270	0.103	Private
8	Benapanjari	615/602	177	253	Chaka	1.280	0.221	Private
					<b>TOTAL=</b>	<b>3.616</b>	<b>0.714</b>	
9	Deulabasta	231/142	-	15/1019	Gharabari	0.715	0.250	Private
10	Deulabasta	231/284	-	15/1143	Gharabari	0.225	0.146	Private
					<b>TOTAL=</b>	<b>0.940</b>	<b>0.396</b>	
11	Shyampur	149	-	354	Sarad Anajalasechita - II	0.445	0.168	Private
12	Shyampur	132	-	359	Sarad Anajalasechita - II	0.241	0.050	Private
13	Shyampur	66	-	352	Sarad Anajalasechita - II	0.563	0.246	Private
14	Shyampur		-	350	Sarad Anajalasechita - II	0.512	0.152	Private
15	Shyampur	32	-	351	Sarad Anajalasechita - II	0.045	0.045	Private
16	Shyampur		-	349	Sarad Anajalasechita - II	0.085	0.085	Private
17	Shyampur	133	-	357	Sarad Anajalasechita - II	0.100	0.003	Private
18	Shyampur	76	-	358	Sarad Anajalasechita - II	0.455	0.001	Private
					<b>TOTAL=</b>	<b>2.446</b>	<b>0.750</b>	

**Village wise Abstract**

Sl. No	Village	Area to be acquired in Acre	Total No. of Plots
1	Benapanjari	0.714	8
2	Deulabasta	0.396	2
3	Shyampur	0.750	8
Total Area =		1.860	18

[F. No. CE/CON/II/BBS/LA/3rd line BHC-VZM/Shyampur/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer(Con-II)